



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक.....२५...../2016

दिनांक ४/०५/२०१६

विषय:- मण्डल की योजनाओं में भवनों का लॉटरी पद्धति, ऑफर पद्धति या "प्रथम आओ-प्रथम पाओ" पद्धति से आबंटित भवनों की राशि जमा करने में अवधि बढ़ाने बाबत।

--०००--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की सभी योजनाओं में आवेदन पत्र के साथ जमा पंजीयन/धरोहर राशि पश्चात् भवनों का आबंटन लॉटरी पद्धति, ऑफर पद्धति या "प्रथम आओ-प्रथम पाओ" पद्धति से किया जाकर आबंटन आदेश जारी कर शेष राशि 30 दिवस के अंदर जमा करने सूचना दी जाती है। अनेक हितग्राहियों द्वारा राशि जमा करने हेतु बैंक द्वारा लोन लिया जाता है या राशि जमा करने अन्य तरीके से व्यवस्था की जाती है। आबंटन आदेश में दी गई 30 दिवस की समयावधि में राशि जमा करने में हितग्राहियों को कठिनाईयों होती है तथा राशि की व्यवस्था न हो पाने से समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन/निवेदन किया जाता है।

अतः समस्त संपदा अधिकारी/कार्यपालन अभियंता को आदेशित किया जाता है कि हितग्राहियों की कठिनाईयों को देखते हुए मण्डल की समस्त योजनाओं में आबंटन आदेश में राशि जमा करने हेतु 30 दिवस के स्थान पर 60 दिवस का प्रावधान रखा जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्र. ४३ /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-138/16

रायपुर, दिनांक ४/०५/२०१६

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
8. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

क्रमशः-०२

9. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/
राज.परि.संभाग-01,02 रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/जगदलपुर/
अंबिकापुर/कोण्डागांव/कवर्धा/महासमुन्द/धमतरी/विद्युत संभाग-01,नया रायपुर/ विद्युत
संभाग-02, मुख्यालय रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
11. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01,02,03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/
बिलासपुर/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


आह्वय
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर